

प्रेषिका,

प्रीति सिंह-॥

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,
मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद बागपत।

विषय- प्रार्थिया को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एल०एल०एम० का कोर्स किये जाने की अनुमति दिये जाने के संदर्भ में।

आदरणीय महोदय,


उपरोक्त विषयक सादर निवेदन करना है कि वर्ष 2010-11 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थिया को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एल०एल०एम० का कोर्स करने की अनुमति मेरे आवेदनपत्र पर प्रदान कर दी गयी थी। परन्तु उस समय प्रार्थिया का पुत्र की अल्पावस्था के कारण एल०एल०एम० नहीं कर सकी थी।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एल०एल०एम० कोर्स कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थनापत्र मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थिया आपकी सदैव आभारी रहेगी।

"सादर"

भवदीया,


दिनांक -02.09.2022


(प्रीति सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

बागपत।

कायालय: जनपद न्यायाधीश बागपत
पत्रांक १६५८/१८ दिनांक ०३-०९-२२
अग्रसारित


जालन्दार न्यायाधीश,
बागपत ०२१९१२२